कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा

ज्ञाप क्र./ 137 /मान्यता/अनुमति/2020/ बेमेतरा, दिनांक 08.07.2020

प्रति,

प्रबंधक/प्राचार्य
एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल, बेमेतरा
जिला –बेमेतरा.

विषय :– नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

–::00::–

आपके आवेदन पत्र की तारीख .... के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत मैं एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल, बेमेतरा .... (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख मई 2021 से मार्च 2024 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा पूर्व प्राथमिक से आठवीं तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट–एक) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट–दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथापरिस्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जाएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–
   1. प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
   2. किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
   3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   5. अधिनियम के उपबंधों "च" के अनुसार नि:शक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

क्रमशः 2 पर

5. अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएँ अर्जित करेगा।
   1. अध्यापक, अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और
   2. अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संन्नियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:
   - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 0.3 (एकड़) खेल के मैदान का क्षेत्रफल हाँ ।
   - कक्षाओं की संख्या 24, प्रधान पाठक–सह –कार्यालय–सह–भण्डार के लिए कक्ष 04 ।
   - बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय हाँ, पेयजल सुविधा हाँ ।
   - मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई x, बाधारहित पहुँच हाँ ।
   - अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद के उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएँगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा उत्तर प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी व्यक्ति, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 2013003 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त– अधिनियम में विनिर्दिष्ट मान एवं मानकों की पूर्ति कर लिए जाने की शर्त पर मान्यता/अनुमति दी जा रही है। मापदण्डों की अनुपलब्धता की स्थिति में मान्यता/अनुमति समाप्त मानी जावेगी।
    1. सभी मौसम के अनुकूल आहातायुक्त भवन।
    2. प्रत्येक कक्षा हेतु एक पृथक कमरा।
    3. बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय एवं मूत्रालय।
    4. सभी का स्वच्छ–सुरक्षित पेयजल।
    5. खेल का मैदान।
    6. प्रत्येक कक्षा हेतु निर्धारित अर्हताधारी एक शिक्षक।
    7. विद्युत।

जिला शिक्षा अधिकारी,
बेमेतरा

पृ.क्र./ 138 /मान्यता/अनुमति/2020/ बेमेतरा, दिनांक 08.07.2020

प्रतिलिपिः–

1. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ....साजा........ को सूचनार्थ।
2. नोडल अधिकारी, प्राचार्य, शास. उ. मा. वि. साजा .... को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
बेमेतरा